यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी (नैनीताल) के माह 04/2019 से माह 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री गोविन्द कुमार सिंह व श्री सी.एम.एस. रावत, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री असीम मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 01.03.2021 से 10.03.2021 तक श्री आई.के. जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मक:** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री अंशुमन अग्रवाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा श्री रजनीश कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 10.02.2020 से 18.02.2020 तक श्री डी. पी. सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 05/2018 से 03/2019 तक एवं व्यय हेतु माह --- से --- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक एवं व्यय हेतु माह --- से --- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: वनों का संरक्षण अनुरक्षण आदि- पौड़ी, पैठाणी, पूर्वी अमेली, पश्चिमी अमेली, दीवा एवं कोटद्वार।

(ii) (अ) **राजस्व का विवरण:** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

(₹ लाख में)

वर्ष	राजस्व लक्ष्य	राजस्व प्राप्ति
2017-18	11236.00	9812.00
2018-19	12984.00	9996.00
2019-20	13140.45	18191.87

(ii) (ब) **बजट** का विवरण

विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैरस्थापना**		**स्थापना**		**गैरस्थापना**	
	स्थापना	**गैरस्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**अधिक्य (+)**	**बचत(-)**	**अधिक्य (+)**	**गैर स्थापना**
2017-18	-	-	1706.47	1706.47	383.04	383.04	-	-	-	-
2018-19	-	-	1602.16	1600.63	466.94	466.94	-	1.53	-	-
2019-20	-	-	1526.57	1526.57	666.99	638.50	-	-	-	28.49

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत विभागो को प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ हजार में)

वर्ष	**स्थापना योजना का नाम**	**केन्द्र पोषित/राज्य पोषित**	**प्रा0 अ0**	**प्राप्त**	**व्यय**	**व्यय अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2018-19	हाथी परियोजना एवं इन्टोसिफिकेशन ऑफ फारेस्ट मैनेजमेंट	-	-	12.80	12.80	-	-
2019-20		-	-	21.88	21.87	-	0.01

(iii) इकाई को बजट आवंटन गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ‘A’ श्रेणी की है।

(IV) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2020 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

माह 01/2020 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन --

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा-परीक्षा
(अति गम्भीर अनियमितताएं)
भाग-II (अ)
शून्य

गम्भीर अनियमितताएं
भाग-II (ब)

प्रस्तर–1 विलम्ब से छपान एवं लौट आबंटन किए जाने के कारण रु0 75.65 करोड के अनुमानित राजस्व प्राप्ति से बंचित रहना।

प्रस्तर–2 विलम्ब से खनिजों के विदोहन के कारण अभिवहन शुल्क के रुप में रु0 7.61 करोड राजस्व **प्राप्त न होना**।

प्रस्तर–3 शासनादेश, अधिसूचनाओं एवं अधिनियमों का अनुपालन न किए जाने से ₹ 16.68 लाख के श्रमिक हितों को संवैधानिक सुविधाओं से बंचित किया जाना।

प्रस्तर–4 अवैध खनन, पातन एवं कृषि लीज रेंट की लम्बित राशि ₹0 3.53 करोड की वसूली न किया जाना।

प्रस्तर–5 रोपित पौधों की जीवित प्रतिशतता में कमी एवं अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जाना।

व्यय की लेखा-परीक्षा
(अति गम्भीर अनियमितताएं)
भाग-II (अ)
गम्भीर अनियमितताएं
शून्य
व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (ब)

STAN

<u>भाग–II'ब'</u>

प्रस्तर–1 विलम्ब से छपान एवं लौट आबंटन किए जाने के कारण रु0 75.65 करोड के अनुमानित राजस्व प्राप्ति से बंचित रहना।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्ययोजना अनुमोदन के अनुसार बिना कार्ययोजना के अनुमोदन के कोई भी वन वर्धनिक कार्य नहीं किए जाने चाहिए। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 से 2025–26 की कार्ययोजना का अनुमोदन 03.11.2017 को किया गया, जिसके अनुसार कार्ययोजना नवम्बर 2017 से सितम्बर 2026 तक मान्य होनी है। यदि कार्ययोजना स्वीकृति के अनुरुप वन वर्धनिक कार्य सम्पादित नहीं किए जाते हैं तो न केवल वन सम्पदा पर विपरीत प्रभाव पडेगा अपितु विभाग का राजस्व संग्रह भी प्रभावित होगा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के कार्ययोजना एवं नियंत्रण वर्ष 2018–19 के छपान एवं पातन से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि प्रभाग द्वारा वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के पातन क्षेत्रों को वर्ष 2019–20 में विभिन्न रेंजों के 29174.67 है0 क्षेत्रमें छपान कर वन निगम को पातन हेतु लौट आबंटित किए गये, परन्तु वन प्रभाग द्वारा कार्ययोजना नवम्बर 2017 में अनुमोदित होने के बावजूद छपान तथा लौट आबंटन में किए गये विलम्ब के कारण वन निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में पातन नहीं किया गया। इसप्रकार, छपान एवं आबंटन में विलम्ब से प्रभाग को कार्ययोजना के अनुरुप 29174.67 है0 क्षेत्र से पातन न होने के कारण वित्तीय वर्ष में रु0 75.65 करोड **(संलग्नक–1)** की अनुमानित राजस्व प्राप्ति से बंचित होना पडा। इसके अतिरिक्त प्रभाग द्वारा वर्ष 2018–19 में 2261.40 है0 पातन क्षेत्र में कार्ययोजना के अनुमोदन हो जाने के बावजूद भी छपान का कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण पातन हेतु वन निगम को लौट आबंटित नहीं किए गये **(संलग्नक–2)**। लेखापरीक्षा जॉच में छपान न होने के कारण अनुमानित राजस्व प्राप्ति का आंकलन नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी ने उत्तर में बताया कि कार्ययोजना के विलम्ब से अनुमोदन प्राप्त होने के कारण वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 की लौट विलम्ब से आबंटित की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्ययोजना का अनुमोदन नवम्बर 2017 में प्राप्त हो चुका था, इसके बावजूद नवम्बर 2017 से मार्च 2019 तक छपान एवं पातन हेतु लौट आबंटन **नहीं किया गया था।**

अतः विलम्ब से छपान एवं लौट आबंटन किए जाने के कारण रु0 75.65 करोड के अनुमानित राजस्व प्राप्ति से बंचित रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक–1

क्र0	रेंज	ब्लॉक	कक्ष	आबंटित क्षेत्र है0	लौट सं0	अनुमानित प्राप्ति घनमी0	अनुमानित रायल्टी
1.	सुरई	ककरा	5	320.50	20 / 2019–20	2630.625	47619214
2.	खटीमा	खटीमा झनकईया	11	86.60	29 / 2019–20	253.582	5199502
3.	किशनपुर	रैखाल	3	7.35	42 / 2019–20	354.659	6382441
4.	किशनपुर	रैखाल	4	23.00	43 / 2019–20	1504.882	30783662
5.	किशनपुर	रैखाल	4	20.00	44 / 2019–20	636.388	7041988
6.	किशनपुर	रैखाल	5	18.00	45 / 2019–20	658.964	13605447
7.	किशनपुर	रैखाल	5	28.60	46 / 2019–20	828.315	18774068
8.	किशनपुर	रैखाल	6	28.60	47 / 2019–20	2015.561	23480924
9.	किशनपुर	रैखाल	2	30.00	48 / 2019–20	1720.806	32631322
10.	किशनपुर	रैखाल	4	67.70	49 / 2019–20	3831.753	67076524
11.	किशनपुर	रैखाल	6	8.00	50 / 2019–20	677.505	15089283
12.	रनसाली	रनसाली हंसपुर	अ 1	6.00	57 / 2019–20	452.204	15014695
13.	सुरई	सुरई	46ब	289.40	65 / 2019–20	346.028	5943552
14.	द0 जौलासाल	जौलासाल	3अ	60.00	78 / 2019–20	1282.456	40741321
15.	द0 जौलासाल	जौलासाल	1अ	50.00	79 / 2019–20	1707.646	52760291
16.	डौली	मैलानी	1	60.00	80 / 2019–20	3910.279	138243504
17.	सुरई	लुकाट	31अ	50.00	81 / 2019–20	2570.500	93369490
18.	सुरई	लुकाट	36अ	50.00	82 / 2019–20	3359.075	126095107
19.	बाराकोली	बाराकोली	ब 2	50.00	89 / 2019–20	101.125	4441535
20.	किशनपुर	होरई	7ब	50.00	96 / 2019–20	245.491	8800965
21.	बाराकोली	बाराकोली	10अ	50.00	97 / 2019–20	86.828	3409125
योग :–						**29174.67**	**756503960**

संलग्नक–2

क्र0	**रेंज**	**ब्लॉक**	**कक्ष सं0**	**क्षेत्रफल (है0)**	**क्र0**	**रेंज**	**ब्लॉक**	**कक्ष सं0**	**क्षेत्रफल (है0)**
1.	किशनपुर	होरई	4	223.80	17	किलपुरा	किलपुरा	अ–2	17.00
2	बाराकोली	बाराकोली	7अ	131.84	18	किलपुरा	किलपुरा	अ–2	7.70
3	किशनपुर	किशनपुर	6	207.20	19	किलपुरा	किलपुरा	अ–3	22.70
4.	रनसाली	रनसाली	3ब	100.00	20	किलपुरा	किलपुरा	अ–3	21.40
5.	जौलासाल	सुदलीमठ	1ब	176.00	21	किलपुरा	किलपुरा	अ–3	16.50
6.	रनसाली	रनसाली हंसपुर	अ 8	18.00	22	किलपुरा	किलपुरा	अ–3	13.40
7.	बाराकोली	बाराकोली	एन–3	166.30	23	किलपुरा	किलपुरा	अ–4	23.00
8.	किशनपुर	किशनपुर सूखी	ब	301.00	24	किलपुरा	किलपुरा	अ–4	22.70
9	रनसाली	रनसाली	1ब	6.00	25	किलपुरा	किलपुरा	अ–4	17.10
10	रनसाली	रनसाली	1ब	210.56	26	किलपुरा	किलपुरा	अ–5	57.00
11	रनसाली	रनसाली	5	103.60	27	किलपुरा	किलपुरा	अ–5	63.00
12	खटीमा	बिचुवा		5.70	28	किलपुरा	किलपुरा	अ–5	36.20
13.	किलपुरा	किलपुरा	अ–1	10.00	29	खटीमा	खटीमा छीनी	16	63.40
14.	किलपुरा	किलपुरा	अ–1	9.00	30	खटीमा	खटीमा छीनी	17ब	71.60
15.	किलपुरा	किलपुरा	अ–1	11.00	31	खटीमा	खटीमा नखाताल	1	119.00
16.	किलपुरा	किलपुरा	अ–2	9.70					
योग :–									2261.40

भाग–II'ब'

प्रस्तर–2 विलम्ब से खनिजों के विदोहन के कारण अभिवहन शुल्क के रुप में रु0 7.61 करोड राजस्व प्राप्त न होना।

भारत सरकार से प्राप्त अनुमति के अनुसार प्रभाग की गोला नदी में खनन का कार्य दिनांक 01अक्तूबर से प्रारम्भ हो कर 31 मई तक चलना चाहिए जिससे निर्धारित लक्ष्य (नदी तल में उपलब्ध खनन योग्य उपखनिज की मात्रा) की सीमा तक उपखनिजों का विदोहन हो सके।

प्रभाग के अंतर्गत गोला नदी से खनिजों के विदोहन की स्थिति सत्र 2019-20 में लक्ष्यों से अत्यंत कम पायी गयी।यह पाया गया कि खनिजों के विदोहन का कार्य अधिकतर समय विलंब से प्रारम्भ किया जाता है जिससे कि सम्पूर्ण उपलब्ध खनिजों का विदोहन नहीं हो पाता। इससे विभाग द्वारा वसूले जाने वाले अभिवहन शुल्क की हानि होती है एवं नदी तल में उपलब्ध खनिजों की चोरी इत्यादि की संभावना के साथ साथ नदी तट के कटान इत्यादि की घटनाएँ भी बढ़ जाती हैं। खनिजों के विदोहन की स्थिति सीज़नवार (अधिकतमअक्तूबर 2019 से प्रारम्भ 2020 तक) स्थिति निम्नलिखित पायी गयी-

Mining Season	**Amount of extractable minor minerals available in river bed in m^3**	**Collection of minor minerals in m^3**	**Shortfall in m^3**	**Rate of transit fees in per m^3**	**Loss of transit fees on uncollected minor minerals in ₹**
2019-20	**3216000**	**2524000**	**692000**	**110**	**7,61,20,000/-**

लेखापरीक्षा ने पाया कि गोला नदी में खनन की प्रक्रिया नियमानुसार 01 अक्टूबर से प्रारम्भ होने की बयाज 30 अक्टूबर से विलंब से प्रारम्भ की गई जिससे लक्ष्य के अनुसार खनिजों के विदोहन नहीं हो पाया। इस करण से तालिका में दिये गए विवरण के अनुसार रुपए 7.61 करोड़ के अभिवहन शुल्क की हानि हुई है जिस पर रॉयल्टी एवं मार्ग संधारण शुल्क का नुकसानअलग है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि कोविड महामारी के चलते लॉकडाउन प्रभावी होने के कारण खनन एक माह अवरुद्व रहा, जिस कारण अपेक्षित खनन नहीं किया जा सका। इस कारण शासन द्वारा उप–खनिज चुगान की अवधि को 30 जून तक बढाया भी गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कोराना महामारी के कारण लॉकडाउन मार्च 2020 के अन्तिम सप्ताह से प्रभावी हुआ था जबकि उप–खनिज का चुगान वित्तीय वर्ष 2019–20 से सम्बन्धित है। **30 जून 2020 तक बढ़ाया भी गया था। यदि खनन दिनांक 01 अक्टूबर को समय पर प्रारम्भ हो जाता तो उक्त हानि से बचा जा सकता था।**

अतः विलम्ब से खनिजों के विदोहन के कारण अभिवहन शुल्क रु0 7.61 करोड के राजस्व कमीका प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II'ब'

प्रस्तर–3 शासनादेश, अधिसूचनाओं एवं अधिनियमों का अनुपालन न किए जाने से ₹ 16.68 लाख के श्रमिक हितों को संवैधानिक सुविधाओं से बंचित किया जाना।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव संसाधन आपूर्ति से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आयेः–

1. आउटसोर्सिंग के माध्यम से अकुशल, अर्द्धकुशल तथा कुशल श्रेणी के मानव संसाधनों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या 801 / XVII-5/18-09(71)/2002 TC दिनॉक 31 जुलाई 2018 के माध्यम से निर्देशित किया गया था कि सभी विभागों में उपनल के माध्यम से सेवायें आउटसोर्स से ही किए जायेंगे। शासनादेश के विपरीत तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा मै0 उज्जवल कॉन्ट्रेक्ट को–ऑपरेटिव सोसाईटी लि0, देहरादून के साथ दिनॉक 01.09.2018 से 31.07.2019 के लिए 0.01 प्रतिशत सर्विस चार्ज के रुप में दिनॉक 30 अगस्त 2018 को अनुबन्ध गठित किया गया।

2. प्रभाग द्वारा अनुबन्ध में श्रमिकों के हितों हेतु कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0) एवं कर्मचारी राज्य बीमा (ई0एस0आई0) के भुगतान हेतु अनुबन्ध में कोई प्रावधान नहीं किया गया, जबकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजना एवं राज्य कर्मचारी बीमा योजना के अधिनियमों के अन्तर्गत कर्मियों का अंशदान जमा किए जाने का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 में नियोक्ता एवं कार्मिक के अंश हेतु अलग–अलग प्रतिशत्ता का निर्धारण श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार दिनॉक 31.05. 2018 से पूर्व ई0पी0एफ0 हेतु नियोक्ता एवं कार्मिक का अंश क्रमशः 13.15% एवं 12%, दिनॉक 01.06.2018 से 13% एवं 12% तथा ई0एस0आई0 हेतु दिनॉक 30.06.2019 से पूर्व नियोक्ता एवं कार्मिक का अंश क्रमशः 4.75% एवं 1.75% तथा दिनॉक 01.07.2019 से 3.25% एवं 0.75% निर्धारित किया गया था।

3. प्रभाग द्वारा सेवा प्रदाता फर्म को दिनॉक 01.09.2018 से 28.02.2021 तक वन प्रभाग में कार्यरत 34 वाहय सेवाकार्मिकों हेतु प्रतिमाह की दर से कुल ₹125.18 लाख पारिश्रमिक का भुगतान किया गया। परन्तु अनुबन्ध में प्रावधान न होने के कारण संवैधानिक देय जैसे ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 में विभागीय प्रतिशतता का अंशदान ₹16.68 लाख जमा न होने पर कार्मिक को योजना के अनुसार सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई। विवरण **संलग्नक** में दिया गया है।

4. प्रभाग द्वारा अनुबन्ध के अनुसार सेवा प्रदाता से श्रम शक्तियों को उपलब्ध करायी गई पारिश्रमिक की लिखित पुष्टि हेतु प्रत्येक माह का भुगतान बिना अभिलेख प्रस्तुत किए किया गया, जो कि अनुबन्ध के प्रावधान के विपरीत था।

5. सेवा प्रदाता फर्म को अनुबन्ध जुलाई 2019 में समाप्त हो चुका था इसके पश्चात् प्रभाग द्वारा कोई अनुबन्ध नहीं किया गया तथा बिना अनुबन्ध के कार्मिकों की सेवा के साथ–साथ फर्म को पूर्व अनुबन्धित दरों पर भुगतान किया गया था।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रभाग द्वारा शासनादेश, भारत सरकार की अधिसूचनाओं, ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 योजनाओं के अधिनियमों के अनुरुप अनुपालन न किए जाने से कहीं–न–कहीं श्रमिक हितों को संवैधानिक सुविधाओं से बंचित किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि वन विभाग में एजेन्सी द्वारा अन्य प्रभागों में पूर्व से अनुबन्ध के आधार पर सेवायें प्रदान की जा रही थी, इसलिए उन्हीं सेवा दरों पर अनुबन्ध गठित किया गया। ई0पी0एफ0/ई0एस0आई का प्रावधान न किए जाने के सम्बन्ध में बताया कि चूँकि प्रभाग के अन्तर्गत कार्मिकों को आवश्यकतानुसार घटाया–बढाया जाता है, उन्हें नियमित रुप से सेवा में नहीं रखा जाता है। जिस कारण से पूर्व में किए गये अनुबन्ध में इसका उल्लेख नहीं किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भुगतान विवरण देयकों के अनुसार आउटसोर्स कार्मिकों को लगातार काम पर लगाया गया था तथा अधिनियमों में यह कहीं उल्लेख नहीं है कि कार्मिकों के घटने एवं बढने पर ई0पी0एफ0/ई0एस0आई का प्रावधान नहीं किया जाएगा।

अतः शासनादेश, अधिसूचनाओं एवं अधिनियमों का अनुपालन न किए जाने से ₹16.68 लाख के श्रमिक हितों को संवैधानिक सुविधाओं से बंचित किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

भुगतान माह	सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा दावा राशि जी0एस0टी0 एवं सेवा शुल्क सहित (18.01%)	प्रभाग द्वारा भुगतानित राशि जी0एस0टी0 एवं सेवा शुल्क सहित (18.01%)	कार्मिकों का पारिश्रमिक राशि जी0एस0टी0 एवं सेवा शुल्क रहित (18.01%)	नियोक्ता हेतु ई0पी0एफ0 का अंश (13%)	नियोक्ता हेतु ई0एस0आई0 का अंश (6/2019 तक 4.75%एवं 7/2019 से 3.25%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12/2018	449525.00	449525.00	368565.00	47913.00	11978.00
02/2019	426481.00	426481.00	349671.00	45457.00	11364.00
03/2019	1184436.00	1184436.00	971119.00	126245.00	31561.00
07/2019	927972.00	927972.00	760844.00	98909.00	24727.00
08/2019	859856.00	859856.00	704995.00	91649.00	22912.00
09/2019	325575.00	325575.00	266938.00	34701.00	8675.00
10/2019	284080.00	284080.00	232917.00	30279.00	7570.00
11/2019	2638746.00	2638746.00	2163507.00	281256.00	70314.00
02/2020	871797.00	871797.00	714786.00	92922.00	23230.00
05/2020	1758244.00	1758244.00	1441584.00	187406.00	46851.00
06/2020	319195.00	319195.00	261708.00	34022.00	8505.00
07/2020	45528.00	45528.00	37328.00	4853.00	1213.00
08/2020	1253106.00	1253106.00	1027421.00	133564.00	33391.00
09/2020	160686.00	160686.00	131746.00	17127.00	4282.00
10/2020	459763.00	459763.00	376960.00	49005.00	12251.00
11/2020	553242.00	553242.00	453603.00	58968.00	14742.00
योग :–	**12518232.00**	**12518232.00**	**10263692.00**	**1334276.00**	**333566.00**

भाग–II'ब'

प्रस्तर–4 अवैध खनन, पातन एवं कृषि लीज रेंट की लम्बित राशि ₹ 3.53 करोड की वसूली न किया जाना।

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के राजस्व से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों एवं मासिक प्रगति रिपोर्ट की लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया किः–

1. उत्तराखण्ड वन विकास निगम के विरुद्व अवैध खनन की निकासी एवं अवैध पातन की लोक मॉग (पी0डी0) की धनराशि ₹125.88 लाख आरोपित की गई थी, जिसकी वसूली लेखापरीक्षा अवधि तक लम्बित थी। मार्च 2020 तक वसूली हेतु लम्बित धनराशि का विवरण निम्नवत् थाः–

अवैध सामग्री	आरोपित राशि
वर्ष 2016–17 में खनन की अवैध निकासी	631164
वर्ष 2017–18 में खनन की अवैध निकासी	54392
वर्ष 2018–19 में अवैध निकासी एवं लौट में अवैध पातन	7113169
वर्ष 2018–19 में आबंटित लौट में अवैध पातन	2535802
वर्ष 2015–16 में वन मोटर मार्गों का अवशेष	2253000
योगः–	**12587527**

2. उत्तर प्रदेश वन विकास निगम के विरुद्ध कृषि लीज रेन्ट, अवधि विस्तार एवं विलम्ब शुल्क की धनराशि रु0 226.91 लाख उत्तराखण्ड पुनर्गठन के पूर्व से वसूली हेतु लम्बित थी। मार्च 2020 तक वसूली हेतु लम्बित धनराशि का विवरण निम्नवत् थाः–

कृषि लीज रेन्ट	अवधि विस्तार शुल्क	विलम्ब शुल्क	योग
5301064	484893	16905077	22691034

तराई पूर्वी वन प्रभाग के अभिलेखों में इस तरह का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था कि उक्त लम्बित वसूली हेतु कोई कार्यवाही पृथक से की गई हो। प्रभाग एकमात्र लम्बित वसूली की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करने तक ही सीमित था। उक्त धनराशि के इतने वर्षों तक लम्बित रहने से एक ओर जहॉ वन विभाग के राजस्व में कमी हुई वहीं दूसरी ओर कहीं न कहीं इसका प्रभाव वनीकरण में भी पडना स्वाभाविक था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम से वसूली किए जाने बाबत पत्राचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश वन विकास निगम की लम्बित वसूली के सम्बन्ध में बताया कि सम्बन्धित राशि राज्य गठन से पूर्व की है, जिसका निस्तारण उच्च स्तर पर ही होना है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रभाग द्वारा एकमात्र मासिक प्रगति रिपोर्ट के अतिरिक्त लम्बित वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किए गये।

अतः अवैध खनन, पातन एवं कृषि लीज रेंट की लम्बित राशि ₹ 3.53 करोड की वसूली न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II'ब'

प्रस्तर–5 रोपित पौधों की जीवित प्रतिशतता में कमी एवं अनुश्रवण एवं मूल्यांकन न किया जाना।

तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के अन्तर्गत 82,429.92 है0 वन क्षेत्र है। वनीकरण क्षेत्रों के अन्तर्गत मुख्यतः शीशम, धौडी, तुन, हल्दू, जामुन, सीरस, यूकेलिप्टस, सागौन, पौपलर, गुटेल इत्यादि प्रजातियों का वृक्षारोपण किया जाता है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के वृक्षारोपण से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि प्रभाग के अन्तर्गत रैन्जों में वर्ष 2016–17 से 2019–20 के मध्य विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 2820.00 है0 भूमि में विभिन्न प्रजातियों के 20,95,313 पौधे रोपित किए गये, जिन पर `1613.84 लाख व्यय किया गया। लेखों में पाया कि वर्ष 2016–17 में रोपित कुल पौधों में से अनुश्रवण एवं मूल्यांकन जॉच में 3,11,050 पौधों की जीवितता की जॉच की गई, जिसमें 2,13,404 पौधे ही जीवित पाये गये। यहॉ तक कि जॉचे गये पौधों में से खटीमा एवं किलपुरा रेंज में रोपित 28,500 पौधों (खटीमा : 11,000 एवं किलपुरा : 17,500) में से मात्र 9,828 पौधे (खटीमा : 2,281 एवं किलपुरा : 7,547) जीवित पाए गये, जो कि वृक्षारोपण हेतु निर्धारित औसत मानक 60 प्रतिशत के सापेक्ष काफी कम था। इसके पश्चात् प्रभाग द्वारा वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक रोपित किए गये 2155.55 है0 भूमि में रोपित 16,60,485 पौधों की जीवितता हेतु कोई अनुश्रवण एवं मूल्यांकन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरुप उक्त वर्षों में रोपित पौधों में से जीवित पौधों की संख्या का विश्लेषण नहीं किया जा सका। वर्षवार रोपित एवं जीवित पौधों का व्यय सहित विवरण निम्नवत् हैः–

वर्ष	कुलरोपित क्षेत्र (है0)	रोपित पौधों की संख्या	मूल्यांकन क्षेत्र (है0)	मूल्यांकित पौधे	जीवित पौधों की संख्या	जीवित प्रतिशत्ता	व्यय (लाख रुपये में)
2016–17	664.45	434828	212.15	311050	213404	69%	415.43
2017–18	911.30	561910	–	–	कोई मूल्यांकन नहीं किया गया		370.78
2018–19	671.50	597750	–	–	–– तदैव ––		436.72
2019–20	572.75	500825	–	–	–– तदैव ––		390.91
योग :–	**2820.00**	**2095313**	**212.15**	**311050**	**213404**		**1613.84**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी ने उत्तर में बताया कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा एवं जंगली जानवरों द्वारा रोपित पौधों को क्षति होने के कारण जीवित प्रतिशतता कम रही। इसकी रोकथाम हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि इन क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा एवं वन्य जीवों की अत्यधिक आवाजाही के कारण पौध नष्ट हो गई थी तो पुनः उन्हीं क्षेत्रों में नई पौधों का रोपण किया जाना न केवल निरर्थक होगा वल्कि प्रतिशता में वृद्धि भी नहीं होगी।

अतः रोपित पौधों की जीवित प्रतिशतता में कमी तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व/व्यय से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या
26 / 2011–12	–	1
32 / 2013–14	–	2
60 / 2015–16	–	2
13 / 2016–17	–	1 एवं 2
43 / 2017–18	–	1, 2, 3, 4 एवं 5
146 / 2019–20	–	1, 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7 स्टैन–1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
26 / 2011–12	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	इकाई द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया गया।	प्रतिउत्तर के अभाव में यथावत् रहेगा।	
32 / 2013–14	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	– तदैव –	– तदैव –	
60 / 2015–16	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	– तदैव –	– तदैव –	
13 / 2016–17	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	– तदैव –	– तदैव –	
43 / 2017–18	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–3	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–4	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–5	– तदैव –	– तदैव –	
146 / 2019–20	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–3	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–4	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–5	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–6	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–7	– तदैव –	– तदैव –	
	स्टैन – 1	– तदैव –	– तदैव –	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य
(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1.	श्री नीतीश मणि त्रिपाठी	प्रभागीय वनाधिकारी (दिनांक 01.04.2019 से 08.11.2020)
2.	श्री संदीप कुमार	प्रभागीय वनाधिकारी (दिनांक 09.11.2020 से वर्तमान तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-IV), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV